हादसा | गौर समाधि रोड के पास दिनदहाड़े हादसा

चलती वैन में भड़की आग, 12 लोगों ने कूदकर बचाई जान

नवभारत,जबलपुर। गौर तिराहे के पास समाधि रोड टीएफआरआई के आगे मंगलवार दोपहर करीब 1 बजकर 55 मिनिट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती मारूति वैन में आग भड़क उठी। इस दौरान यात्रियों की चीख-पुकार मच गई और फिर कार के अंदर बैठे 12 लोगों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था। ये सभी लोग निजी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे तभी रास्ते में इनकी वैन में आग भड़क उठी । प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को बताया कि जब वैन टीएफआरआई के पास पहुंची तभी अचानक इंजन वाले हिस्से से घना धुआं निकलने लगा। यात्रियों के शोर मचाते ही चालक ने सूझबूझ दिखाई और तुरंत गाड़ी रोक दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वैन के अगले हिस्से को पूरी तरह घेर लिया। यात्रियों का कहना है कि अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती, तो स्थिति जानलेवा हो सकती थी। जानकारी के अनुसार वैन विकास ठाकुर नामक व्यक्ति की है जिसमें उसके परिवार के 12 लोग शामिल थे।

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वैन का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। हादसे के कारण समाधि रोड पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा और यातायात बाधित हुआ, जिसे पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग खोलकर सामान्य कराया। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण इंजन में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। इस संबंध में फायर ब्रिगेड अमले ने बताया कि समय पर आग पर काबू पा लिया गया और हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।

रिश्वत प्रकरण में पूर्व पटवारी व कोटवार को सजा

जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपी सिहोरा के पूर्व पटवारी बलीराम बर्मन व कोटवार चंदन दहिया का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपियों को क्रमश: चार व तीन वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही पांच व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की ओर से लोकायुक्त के विशेष अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि प्रार्थी अधिवक्ता राम मनोहर सोनी निवासी शंकर नगर कारमेता ने 22 अप्रैल 2018को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित शिकायत की थी। उसने आरोप लगाया था कि उसने अपनी जमीन की नई बही बनाने के लिए चार-पांच माह पूर्व अपनी पुरानी बही पटवारी बलीराम को दी थी। परन्तु बलीराम ने नई बही नहीं दी। प्रार्थी द्वारा आरोपी से इस हेतु सम्पर्क किए जाने पर आरोपी बलीराम बर्मन पटवारी ने उससे तीन हजार रुपये रिश्वत की मांग की।

ईडी ने आरटीओ और पत्नी की 3 .38 करोड़ की संपत्तियों को किया जब्त

ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया था भ्रष्टाचार का मामला

4 .06 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति हुई थी उजागर

जबलपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में कार्यरत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और वरिष्ठ क्लर्क पत्नी श्रीमती रेखा पॉल से संबंधित लगभग 3.38 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। जांच में पाया गया कि इन लोक सेवकों ने जांच अवधि के दौरान अपनी वैध आय से कहीं अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। ईडी की जांच में पता चला कि संतोष पॉल और श्रीमती रेखा पॉल की सत्यापित वैध आय 73.26 लाख रुपये थी, जिसके आधार पर उन्होंने लगभग 4.80 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और खर्च किए। इससे लगभग 4.06 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति का आंकड़ा सामने आया। आगे की जांच में ऋण की किस्तों के भुगतान से ठीक पहले उनके बैंक खातों में सुनियोजित और बार-बार नकद जमा का पता चला, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने बेहिसाब नकदी को बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया था।

जबलपुर जिले में स्थित जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें आवासीय मकान, आवासीय भूखंड, कृषि भूमि और व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं, जिन्हें अपराध की आय के रूप में अस्थायी रूप से जब्त किया गया है।

2022 में ईओडब्ल्यू ने की थी कार्यवाही

ईओडब्ल्यू की टीम ने 2022 में अगस्त माह में शताब्दीपुरम स्थित संतोष पॉल के आलीशान घर में छापेमारी की थी। इस दौरान आलीशान घर, लग्जरी कार, जमीन, प्लॉट समेत करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई थी। अवधि के दौरान वैध स्रोतों से प्राप्त आय से 650 प्रतिशत अधिक पाई गई थी। इस दौरा एक स्कार्पियो कार एमपी 20 एचए 8653, पल्सर बाइक एमपी 20 एनएफ 2888, बुलेट मोटरसाइकिल एमपी 20 एमजेड 5455, 1.4 एकड़ का फार्म हाउस ग्राम दीखाखेड़ा, चरगवां रोड, एक आई-20 कार, एमपी 20 सीबी 5455, 570 वर्गफीट का एक आवासीय भवन कस्तूरबा गांधी वार्ड, 771 वर्गफीट का एक आवासीय भवन गढ़ा फाटक, 247 वर्गफीट का एक आवासीय भवन पीपी कालोनी ग्वारीघाट, 1150 वर्गफीट का एक आवासीय भवन शंकर शाह वार्ड एवं दस हजार वर्गफीट के दो आवासीय भवन शताब्दीपुरम, एमआर-फोर रोड में मिला था।

सर्दी का सितम : पारा सात डिग्री, बर्फीली हवा से ठिठुरन बढ़ी

जबलपुर। साल के आखिरी सप्ताह में सर्दी का सितम और तीखा हो गया है। इस सीजन का अभी तक सबसे कम न्यूनतम तापमान मंगलवार को सात डिग्री रिकार्ड किया गया है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवा और वायुमंडल में सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में भी सर्द हवा के चलते कंपकंपी छूट रही है। शहर शीतलहर की चपेट में है। गलाव वाली ठंड से लोग परेशान हैं।

मौसम विभाग की माने तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ, मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक टूफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी ऊँचाई पर उत्तर में अवस्थित है। दक्षिण राजस्थान के

ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर 287 किमी घंटे की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में ट्रफ के रूप में पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ गया है।

ऐसा है तापमान

मंगलवार को अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 73 और शाम को 54 प्रतिशत दर्ज की गई।

हाईटेंशन लाईन से झुलसे युवक की मौत

जबलपुर। माढ़ोताल थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाईन से झुलसे युवक की मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज से सूचना मिली कि श्रीलाल जायसवाल 50 वर्ष निवासी ग्राम आईटीआई राजीवनगर माढ़ोताल का हाईटेंशन लाईन से करंट लगने से 40-45 प्रतिशत जल गया था जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया था दौरान उपचार के बीती रात लगभग 9 बजे श्रीलाल जायसवाल की मौत हो गयी। सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ इसका पता लगाया जा रहा है।

बीएसी की नियुक्ति याचिका के निर्णय के अधीन

जबलपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जनशिक्षक एवं ब्लॉक एकाडमिक को-ऑर्डिनेटर (बीएसी) की नियुक्ति को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। प्रतिनियुक्ति के लिए आयुसीमा से जुड़े मामले में जस्टिस अमित सेठ की अवकाशकालीन एकलपीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण, राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक, कलेक्टर जबलपुर व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जबलपुर निवासी अजय सिंहए संतोष झरिया, संजय केशरवानी व अन्य की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता जनशिक्षक के पद कार्यरत हैं। दिसंबर 2025 को जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर के द्वारा संशोधित आदेश जारी किया। इसमें जिले के अंदर समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत विकासखंड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के सभी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। दलील दी गई कि दो अलग-अलग आदेशों में उक्त पदों के लिए उच्चतम आयु सीमा 52 एवं 56 रखी गई है। आयुक्त लोक शिक्षण संस्थान भोपाल के द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया है कि जनशिक्षक की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति नहीं मानी जाएगी एव इनके लिए प्रतिनियुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दलील दी गई कि जो पहले से प्रतिनियक्ति पर कार्य कर रहे हैंए उनके पदों को रिक्त कैसे दिखा सकते हैं।

धोखाधड़ी पर तीन साल की सजा, एक लाख का जुर्माना

अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारपेटे की अदालत ने फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने के आरोपी जबलपुर निवासी विनोद सेन का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि फरियादी मनीष दुबे व अशोक बचानी ने छह फरवरी 2025 को पुलिस में शिकायत की थी। उनका आरोप था कि उनकी कृषि भूमि सगड़ा में स्थित है। इसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया था। किंतु नामांतरण नहीं कराया था। इसलिए राजस्व अभिलेखों में विक्रेता लक्ष्मण सिंह ठाकुर का नाम दर्ज चला आ रहा था। इसी बीच लक्ष्मण की पत्नी पुरखन बाई ने अपना नाम राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करा लिया। पतासाजी करने पर तथ्य सामने आया कि आरोपी विवेक सेन ने भूमि हड़पने की साजिश रची है। उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। नगर निगम में शिकायत पर सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया।

ट्रांसपोर्ट के गोदाम में रखीं थीं प्रतिबंधित पॉलिथिन की 200 बोरियां

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने की जब्त, लगाया 1 लाख का जुर्माना

नवभारत,जबलपुर। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नगर निगम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के कड़े निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने चंडाल भाटा स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में दबिश देकर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन का बरामद की।

जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि चंडाल भाटा के नट बस्ती स्थित 'दीपक रोड लाइंस' के गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन का भंडारण किया गया है। मौके पर पहुंची टीम ने जब तलाशी ली, तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए। गोदाम से लगभग 200 बोरी प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने न केवल अवैध स्टॉक को जब्त किया, बल्कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्ष पर 1 लाख रुपये का स्पॉट फाइन भी लगाया। नगर निगम ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की स्वच्छता और नियमों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई के दौरान निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की पूरी टीम मैदान पर डटी रही। मौके पर अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह चौहान, स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता बर्मन, सहायक नोडल अधिकारी अभिनव मिश्रा,सहायक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र राज व अर्जुन यादव, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनंत दुबे व राधा पवार , किशन दुबे, दल प्रभारी लक्ष्मण कोरी,आदि उपस्थित रहे।

उज्जैन गया परिवार, सूने घर में चोरी

जबलपुर। माढ़ोताल थाना अंतर्गत अनमोल सिटी में अज्ञात चोरों ने एक सूने घर का ताला तोड़कर जेवरात एवं नगदी पार कर दी। चोरों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब परिवार उज्जैन गया हुआ था। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को श्रीमति मंजूलता श्रीवास्तव 39 वर्ष निवासी राम वाटिका नियर अनमोल सिटी ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह विजयनगर में बुटिक संचालित करती है। 26 दिसम्बर की सुबह 9 बजे वह अपने परिवार सहित घर में ताला लगाकर उज्जैन गई थी। सोमवार की रात लगभग 3 बजे वह अपने घर वापस आयी तो गेट का ताला टूटा मिला। आलमारी में चैक करने पर आलमारी में रखीं सोने की 3 अंगूठी, 5 टाप्स, सोने के 2 सिक्के, चांदी की 4 जोड़ी पायल, 20 बिछिया, नगदी 20 हजार रूपये गायब थे।

बेलबाई बैगा ने दूसरे के कहने पर की थी शिकायत

रिश्वत आरोप बेबुनियाद, जांच में खुलासा, अंगूठा लगाकर दी थी अर्जी

पहले ही हो चुका टिकरिया भूमि का नामांतरण

रिश्वत मांगे जाने की खबर हुई वायरल, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

नवभारत,जबलपुर। कुंडम तहसील के ग्राम टिकरिया निवासी बेलबाई बैगा के पति की मृत्यु के बाद उनकी नामांकित भूमि का फौती नामांतरण नहीं होने और रिश्वत मांगे जाने की सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए थे। एसडीएम कुंडम प्रगति गणवीर ने स्पष्ट किया कि बेलबाई बैगा के पति के नाम टिकरिया ग्राम में 0.18 हेक्टेयर भूमि का फौ नामांतरण अक्टूबर 2021 तहसीलदार द्वारा किया जा चु था। इस नामांतरण के बाद भूमि बेलबाई और उनके परि के तीन अन्य सदस्यों के नाम कर दी गई थी। सोशल मीडि पर खबर में यह दावा किया था कि बेलबाई बैगा पांच साल तहसीलदार और एसडी कार्यालय का चक्कर लगा रही और नामांतरण के लिए पटव द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत मा गई। एसडीएम ने इस दावे खारिज किया और बताया टिकरिया भूमि का मामला प ही निपटा दिया गया था।

जांच दल आज करेगा कार्रवाई

ग्राम नारायणपुर की 0.90 हेक्टेयर भूमि का फौती नामांतरण अभी न हुआ है। यह भूमि पति की पट्टे पर आवंटित थी और उस पर वनोपज ल हुई है। इस मामले की जांच के लिए तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अ वन विभाग के अधिकारी शामिल जांच दल का गठन किया गया है। जां दल रविवार को अपनी कार्रवाई करेगा।

नवभारत,जबलपुर। कुंडम तहसील की बेलबाई बैगा द्वारा पटवारी पर नामांतरण के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत लेने के लगाए गए आरोपों की जांच पूरी हो गई है। जानकारी के अनुसार जांच में आरोप निराधार पाए गए हैं, इसके अलावा स्वयं बेलबाई बैगा यह नहीं बता सकीं कि रिश्वत किसने मांगी और किसे रकम दी गई। जांच के दौरान बेलबाई बैगा ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने लाल सिंह बघेल के कहने पर शिकायत की थी। शिकायत में क्या लिखा है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी और उन्होंने केवल अंगूठा लगाया था।

जांच में नहीं पहचान सकीं आरोपी

एसडीएम कुंडम और उप वनमंडल अधिकारी द्वारा की गई जांच में बेलबाई बैगा न तो किसी अधिकारी-कर्मचारी को पहचान सकीं और न ही फोटो के माध्यम से किसी को चिन्हित कर सकीं। उनके पुत्र राजेंद्र प्रसाद बैगा ने भी स्पष्ट किया कि किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया।

नामांतरण पहले ही हो चुका था

जांच में यह भी सामने आया कि टिकरिया गांव की 0.18 हेक्टेयर भूमि का फौती नामांतरण वर्ष 2021 में ही हो चुका है, जिसकी जानकारी बेलबाई और उनके पुत्र को थी। नारायणपुर स्थित 0.90 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण के लिए अब तक कोई आवेदन ही नहीं दिया गया।

वन विभाग के आरोप भी निराधार

नारायणपुर भूमि पर पेड़ कटाई के आरोप भी जांच में सही नहीं पाए गए। वन विभाग के अनुसार आवश्यक संशोधित आदेश प्रस्तुत न होने के कारण टीपी जारी नहीं की जा सकी। फिलहाल भूमि पर सागौन और सतकठा प्रजाति के पेड़ मौजूद हैं।

पटवारी को कारण बताओ नोटिस

हालांकि, जनसुनवाई में मिले आवेदन के आधार पर नारायणपुर के तत्कालीन पटवारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। वर्ष 2019 में मृत्यु के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट न होने को लेकर तीन दिन में जवाब तलब किया गया है, अन्यथा कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

नववर्ष से पहले बेकरी पर सख्ती, गंदगी पर गुप्ता स्वीट्स सील

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई, एक का लाइसेंस निलंबित कई जगहों से लिए नमूने

नवभारत,जबलपुर। नववर्ष के अवसर पर नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण केक एवं बेकरी उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न बेकरी निर्माण एवं विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने बताया कि होम साइंस रोड स्थित ऑर्किड बेकरी एवं गुप्ता स्वीट्स का निरीक्षण

किया गया। निरीक्षण के दौरान गुप्ता स्वीट्स में गंदगी और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार पाए जाने पर उसका खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोक लगाई गई। इसके अलावा अधिकारियों ने शिवम स्वीट्स (भेड़ाघाट चौराहा), आजाद बेकरी (कछपुरा), पॉपुलर फ्रेश केक एंड कुकीज (सिविल लाइन), अरविंद बेकरी (सिहोरा) तथा न्यू इंदौर सेव भंडार (लार्डगंज) से केक, कुकीज, ड्राईफ्रूट, टोस्ट, कीम रोल और पेस्ट्री के नमूने परीक्षण के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छ वातावरण में निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने, गुणवत्तापूर्ण सामग्री के उपयोग तथा केक पर निर्माण एवं उपयोग की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए।

तेज रफ्तार टैक्टर से गिरने से युवक की मौत

जबलपुर। मझगवॉ बाईपास नहर सिंघुली रोड के पास तेज रफ्तार टैक्टर से गिरने से युवक की मौत हो गई।पुलिस ने बताया कि चंदन कोल 17 वर्ष निवासी ग्राम बुढरा ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि गॉव का विनोद कुमार कुर्मी, एवं नीलू कोल टैक्टर ट्राली में धान लोड कर गौरहा सोसायटी जा रहे थे टैक्टर में वह व अमित कोल थी सुंघली मोड से टैक्टर चालक नीलू तेज चलाकर जल्दी गौरहा पहुंचने के लिये कह रहा था जिसे कई बार आराम से चलाने बोला जो नहीं माना और बाईपास नहर सिंघुली रोड के पास तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाया जिससे अमित कोल गिर गया जिससे अमित के सिर , हाथ पैर मे चोटे आ गयी जिसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहॉ उसे मृत घोषित कर दिया। टैक्टर क्रमांक एमपी 20 जेड वाय 2721 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाने से टैक्टर में बैठे अमित कोल 22 वर्ष की नीचे गिरने से आयी चोटो के कारण मौत हो गयी है।

सड़क हादसे में घायल की मौत

भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को श्रीमति राधा चक्रवर्ती 25 वर्ष निवासी धनवंतरीनगर ने सूचना दी कि लगभग 20 दिन पहले पति लखन चक्रवर्ती ड्रायवरी का काम करने गया था। 28 दिसम्बर को पति का एक्सीडेंट हो गया था जिसे उपचार के लिए मेडिकल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान पति लखन चक्रवर्ती 30 वर्ष की मौत हो गई।

SHIVAM CERAMIC JABALPUR
QUTONE
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

SPARK CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)
सम्पर्क
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

भवन निर्माण
₹ 1500/- वर्गफुट कंस्ट्रक्शन
माड्यूलर किचिन लेटबाथ स्टील रेलिंग बिजली पानी, मटेरियल सहित, कम्पलीट वर्क
संपर्क करे
कमलेश पटेल- मो.नं. 6260334877

फरारी के दौरान अब कुख्यात बदमाश ने की लूट

चाकूबाजी-बमबाजी प्रकरण में है फरार

जबलपुर। गोरखपुर थाने में दर्ज चाकूबाजी और अधारताल थाने में दर्ज बमबाजी के प्रकरण में फरार कुख्यात बदमाश ने अब सिविल लाइन थाना अंतर्गत इंद्रा मार्केट में लूट की वारदात को अंजाम दिया है । पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की शाम कन्हैया चक्रवर्ती 18 वर्ष निवासी ग्राम चरगवां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मूर्ति बनाने का काम करता है। भानतलैया मामा सुनील चक्रवर्ती के घर से अपने घर चरगवां मोटर सायकल याम्हा से जा रहा था। इंदिरा मार्केट में मांडवा रामपुर निवासी निक्की ठाकुर आया और मोटर सायकल चलाने के लिये मांगने लगा, उसने मोटर सायकल की चाबी देने से मना किया तो निक्की ठाकुर उसके साथ विवाद कर उसे धक्का देकर उसकी बाइक लूटकर जेल गेट तरफ भाग गया।

मोनू हत्याकांड : तीसरी आंख से कातिलों तक पहुंचने में जुटी पुलिस

जबलपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार रात्रि मांडवा बस्ती रामपुर निवासी मोनू झारिया 18 वर्ष पर चाकू-बका से ताबड़तोड़ वार कर हत्या करने वाले आरोपित अब तक पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस आरोपियों पतासाजी कर रही है। संदेहियों से पूछताछ के साथ सीसीटीव्ही कैमरों को भी खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके । हालांकि अब तक पुलिस के हाथ खाली है।

विदित हो कि रविवार रात्रि मोनू झारिया कांचघर में आशीष बघेल की दुकान में मिलने गया

था। दोनों बातचीत कर रहे थे तभी दो मुंह बांधे चार लड़के आए। जिनमें से दो चाकू, बका लिए थे। जिन्होंने अचानक मोनू पर चाकू, बका से वार कर दिया था। हमले में कई जगह चोटें आ गई और वे खून से लथपथ होकर बेहोश होकर गिर गया था। इसके बाद चारों आरोपी भाग गए। मोनू को इलाज के लिएविक्टोरिया ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी में जुटी है। सिविल लाईन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव ने बताया कि आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57